

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 402]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 30 सितम्बर 2015—आश्विन 8, शक 1937

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2015

अधि. क्र. 145-एफ-1-18-2014-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 5 के खण्ड (22-क) तथा (33-क) और मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 3 के खण्ड (10-ख) तथा (16-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए और इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 19 एफ-1-18-2014-अठारह-3, दिनांक 15-07-2014 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिनियमों के प्रयोजन के लिए नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग की श्रेणी हेतु उसके कॉलम (3) में उल्लिखित अधिकतम आय सीमा विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात्:—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	प्रवर्ग (2)	अधिकतम आय सीमा (3)
1.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	रुपए 3,00,000 (रुपए तीन लाख) तक प्रतिवर्ष, प्रति परिवार
2.	निम्न आय वर्ग	रुपए 3,00,001 (रुपए तीन लाख एक) से 6,00,000 (रुपए छह लाख) तक प्रतिवर्ष प्रति परिवार.

2. उपरोक्त अधिकतम आय सीमा राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से लागू होगी तथा इस तारीख के पूर्व विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत चयनित हितग्राही पूर्व के मापदण्डों के अनुसार उक्त योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के पात्र बने रहेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2015

अधि. क्र. 145 एफ-1-18-2014-अठारह-3. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 145 एफ-1-18-2014-अठारह-3, दिनांक 30 सितम्बर 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 30th September 2015

Not. No. 145-F-1-18-2014-XVIII-3.—In exercise of the powers conferred by clause (22-a) and (33-a) of Section 5 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and clause (10-b) and (16-a) of Section 3 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) and in supersession of this department's Notification No. 19-F-1-18-2014-XVIII-3, dated 15-07-2014, the State Government, hereby, specifies, the category of the Economically Weaker Section and Lower Income Group mentioned in column (2) of the Table below, having the income ceilings mentioned in column (3) thereof for the purpose of the said Acts, namely:—

TABLE

S. No. (1)	Category (2)	Income Ceiling (3)
1.	Economically Weaker Section	Up to Rs. 3,00,000 (Rupees three lakh) per year, per family
2.	Lower Income Group	Rs. 3,00,001 (Rupees three lakh one) to 6,00,000 (Rupees six lakh) per year, per family.

2. The above income ceiling shall be applicable from the date of publication of this Notification in the Official Gazette and the beneficiaries selected under various schemes prior to this date shall be eligible to get benefit of such schemes as per earlier criteria.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
OM PRAKASH SHRIVASTAVA, Dy. Secy.